



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

कार्यालय आदेश

संख्या-01/यो0ब0-30/2020- 10

दिनांक 19/06/2025

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना सं0सं0-4/यो0बजट-42/ 2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 12.06.2025 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त राष्ट्रीय कार्य नियोजना संहिता-2023 के अनुरूप कार्य नियोजना निर्माण हेतु कार्य दर हेतु का अनुसूचित कार्यदर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगी एवं अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगी।

योजना का नाम- राष्ट्रीय कार्य नियोजना संहिता-2023 के अनुरूप कार्य नियोजना निर्माण की अनुसूचित कार्य दर।

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
(A) 1	वन प्रमण्डल के अंश वन क्षेत्र से संबंधित सभी ग्रामों के नक्शों का संग्रहण तैयार करना, स्टॉक मैप वन सर्वेक्षण से संबंधित प्रपत्रों की छपाई, लेखन सामग्री, सर्वे उपकरण आदि।	Per Ha.	9	9	18
2	कार्य समूह का चयन एवं तकनीकी प्रशिक्षण	Per Ha.	10	2	12
3	स्टॉक मैप, सैम्पल प्लॉट एवं एन्यूरेशन कार्य :- इसके अंतर्गत सघन वनों में 2 प्रतिशत एवं विरल वन क्षेत्र में रेकी सर्वे, आयु वर्ग, साईट क्वालिटी, घनत्व निर्धारण, इत्यादि सहित वनाच्छादित भूमि, उजड़े वन, वनरोपण आदि की जानकारी का नक्शे पर चिन्हित, Certification Study.	Per Ha.	65	10	75
4	अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं कम्प्यूटरीकृत विश्लेषण:- स्टॉक मैप बनाने तथा एन्यूरेशन कार्य का अनुश्रवण, आंकड़ों का संग्रहण एवं कम्प्यूटरीकृत विश्लेषण।	Per Ha.	5	1	6
5	स्टॉक मैप बनाना तथा उसकी प्रतियाँ तैयार करवाना	Per Ha.	6	5	11
6	रिपोर्ट मुद्रण	Per Ha.	2	1	3
7	वाहन एवं ईंधन	Per Ha.	0	10	10
8	विधि कार्य एवं कन्टीजेन्सी	Per Ha.	2	1	3
	कुल योग (प्रति हे०)		99	39	138

B	पर्यवेक्षण-प्रति वन प्रमण्डल पाँच अनुभवी तकनीकी प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान (4Person x 12 Months) 30000x4x12=1440000	1440000	0	1440000
C	राष्ट्रीय कार्य नियोजना संहिता-2023 के अनुरूप कार्य नियोजना निर्माण हेतु आवश्यक 10 अध्ययन/सर्वेक्षण (2 JRF प्रति माह रू० 30000/- की दर से, 1 SRF प्रति माह रू० 35000/- की दर से) 2x30000x12=720000 1x35000x12=420000 (Studies-Socio economic survey and assessment, Soil survey and assessment, Biodiversity assessment, Assessment of Non Timber Forest Produce including MAP, Assessment, Assessment of Forest Carbon Stock and Carbon Sequestration, Assessment of Bamboo/Rattans, Soil Erosion vulnerability Assessment, Assessment of Maintenance and enhancement of Social, Economic and Cultural benefits, Assessment of impact of Forest fires and vulnerability, Assessment of water resource management and impact etc, and other work as per NWPC-2023.	1140000	300000	1440000
सकल योग (A+B+C) :-		2580099	300039	2880138

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0ब0-30/2020- 344 दिनांक- 19/06/2025

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
2. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
3. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक।
4. सभी मुख्य वन संरक्षक।
5. सभी वन संरक्षक।
6. सभी उप वन संरक्षक।
7. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची